रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277420
CG-DL-E-26102026-277420

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 832]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948
No. 832]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 903(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 309 तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1, श्रेणी-2 और साधारण श्रेणी, समूह पद 'ग' भर्ती नियम, 2012को उन बातों के सिवाय का अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-2 और स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1 के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् -:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-2 और स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1, समूह पद 'ग', भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना. —ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर. —उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता. —वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति. इन —नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) ।	1* (2026) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-2 (रुपये 19900-63200)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच*। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, चालीस वर्ष आयु तक शिथिल की जा सकती है।)

					टिप्पण: 1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप केंद्र राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए - विहित की गई है। **टिप्पण:- 2** *यदि 'सीधी भर्ती' खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जानी है, तो आयु-सीमा 18-27 वर्ष होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन/द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:- (i) मोटरकारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारक हो। (ii) मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी छोटी मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए।) (iii) मोटरकार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो; और (vi) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। **वांछनीयः** गृह रक्षक या सिविल	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती या पुनर्नियोजित हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परीवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। भूतपर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।

स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो। **टिप्पण** 1: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति आमेलन/प्रतिनियुक्ति/द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति आमेलन/प्रतिनियुक्ति/ किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसके अंतर्गत उसके संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय भी हैं, में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रुपये 18,000–56,900) में कार्यरत नियमित डिस्पैच राइडर, समूह 'ग' या बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द, समूह 'ग' में से, मोटर कार चलाने की दक्षता का आकलन करने के लिए आयोजित ड्राइविंग परीक्षा के आधार पर विधिमान्य मोटर कार चालन अनुज्ञप्ति रखने वाले कर्मचारी, जिसके न हो सकने पर, केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रुपये 18,000–56,900) में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर या नियमित बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द के पद पर कार्यरत ऐसे अधिकारी; जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) उप सचिव (प्रशासन) — अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (प्रशासन) — सदस्य; और, (3) अन्य किसी मंत्रालय से अवर सचिव — सदस्य।	लागू नहीं होता।

किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति की अवधि है) केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2**:- प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-2	1* (2026) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर -4 (रुपये 25500-81100)	अचयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर साधारण श्रेणी, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रुपये 19900-63200) में कार्यरत हैं और जिन्होंने उक्त श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और केंद्रीय सरकार द्वारा	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) उप सचिव (प्रशासन)— अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

विहित ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण कर चुके हों।	(2) अवर सचिव (प्रशासन) — सदस्य; और, (3) अन्य किसी मंत्रालय से अवर सचिव — सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1	1* (2026) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर -5 (रुपये 29200-92300)	अचयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-2 जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रुपये 25500-81100) में कार्यरत हैं और जिन्होंने उक्त श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-2 और स्टाफ कार ड्राइवर में तेरह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो और (साधारण श्रेणी) केंद्रीय सरकार द्वारा विहित ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण कर चुके हों।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) उप सचिव (प्रशासन) — अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (प्रशासन) — सदस्य; और, (3) अन्य किसी मंत्रालय से अवर सचिव — सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12022/01/2026—प्रशा.2/इ-91280]

नीलम अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2026

G.S.R. 903(E).— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Staff Car Driver Grade I, Grade-II and Ordinary Grade, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of

Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver Grade-I in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1**. Short title and commencement. —** (1). These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver Grade-I, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** — These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be a specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings**. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	1* (2026) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 27 years*. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal

					Pradesh, Union territory of Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. Note:- 2. *If the 'direct recruitment' is to be made by open competitive examination, the age limit would be 18-27 years.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits, will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:- (i) possession of a valid driving licence for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) 10th Class pass from a recognised Board. **Desirable:** Three years service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2:** In case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed. Note: There shall be a mandatory induction training of atleast two weeks duration for successful completion of probation period.	By deputation / absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.

In the case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation or Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider, Group 'C' or Multi -Tasking Staff, Group 'C' employees, in level-1 (Rs.18000-56900) in the Pay Matrix in	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:	Not applicable.

the Ministry of Statistics and Programme Implementation including its attached or subordinate offices who possess a valid driving licence for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars faling which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Multi-Tasking Staff, in level-1 (Rs.18000-56900) in the Pay Matrix in other Ministries of the Central Government; who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1: -** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2: -** The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	(1) Deputy Secretary (Administration)-Chairperson; (2) Under Secretary (Administration)-Member; and (3) Under Secretary from any other Ministry-Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver Grade-II.	1* (2026) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Ordinary Grade working in level – 2 (₹19900 - ₹63200) in the Pay Matrix with eight years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Central Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** (1) Deputy Secretary (Administration)-Chairperson; (2) Under Secretary (Administration)-Member; and (3) Under Secretary from any other Ministry-Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver Grade-I.	1* (2026) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs.29200-92300).	Non-selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade - II in level - 4 (₹25500-₹81100) in the Pay Matrix with five years of regular service in the grade or with a combined service of thirteen years in Staff Car Driver Grade – II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test specified by the Central Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** (1) Deputy Secretary (Administration)-Chairperson; (2) Under Secretary (Administration)-Member; and (3) Under Secretary from any other Ministry-Member.	Not applicable.

[F. No. A-12022/01/2026-Ad. II/E-91280]

NEELAM ARORA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.26 11:26:55 +05'30'